

S.B.B.B. Singh  
M.A., LL.B.  
Registrar



AGRA UNIVERSITY

AGRA

198

पत्र प्रतिलिपि संख्याई-5145/जी.एस. दिनांक मई 24, 1988 द्वारा श्री पी. एल. जोशी, कुलाधिपति के संयुक्त साक्ष्य, उत्तर प्रदेश, भारत की ओर कुल साची आगरा विश्व विद्यालय, आगरा को सौंपा गया है।

आपके पत्र संख्या - 4494/2999 दिनांक 30 अप्रैल 1987 के संदर्भ में मुझे आपस पत्र आदि का निदेश हुआ है कि कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अधीन ए.के. (पी.जी.) कॉलेज, शिकोहाबाद (मैनपुरी) को एम. ए. स्तर पर भूगोल एवं एम. काम. में पूर्व प्रदत्त अस्थाई मान्यता को दिनांक 30 जून 1988 तक की अवधि के लिए विस्तारण तथा दिनांक 1 जुलाई 1988 से प्रस्तावित स्थिति मान्यता की स्वीकृति स्पष्ट प्रदान कर दी है।

पत्रांक एफिल/4494

दिनांक 7.6.88

पत्र श्री प्रतिलिपि प्राचार्य, ए.के. कॉलेज, शिकोहाबाद (मैनपुरी) को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपित।

~~delivered to~~

7.6.88

अधीक्षक (कालेज सम्बन्ध विभाग)  
श्री कुल साची  
आगरा

संख्या १०११११ / जी.एस.  
समानक, दिनांक १०/११/१९७० ।  
(पिन कोड नं. २२११३४)

प्रयक

अनु सचिव,

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश


गोवा में,

कनकनित,  
३० प्रोफेसर आर्नेस्टो विद्यालय,  
गोवा

महोदय,

आपके पत्र संख्या ११११/१११/१९७०, दिनांक ४-४-७५ के संदर्भ में मुझे आपसे  
आप कारणे सब निदेश हुआ है कि मुलाभिमति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय  
कानपुर, १९७३ की धार-३७(२) के अधीन आदर्श मुला विद्यालय, शिकोहाबाद को  
समाप्त करने का पत्र भेजा गया है. अन्तर्गत अंग्रेजी, गजनीतिशास्त्र तथा समाजशास्त्र विषयों में  
विद्यार्थियों को आगामी दो वर्षों की अवधि के लिए आरम्भ कार्यक्रम की स्वीकृति प्राप्त  
कराने की है।

भवदीय,



(एल. गिल्लन)  
मुलाभिमति के अनु सचिव, उ०ग०।

मुलाभिमति के अनु सचिव का कार्यालय नवद्वारा है।  
मुलाभिमति के अनु सचिव, उ०ग०, १६-५, नया मार्ग (हेडिक्वा रोड),  
उलाहाबाद ।

सचिव, उ०ग० शासन, राज्य शिक्षा विभाग, सलतऊ।  
कम्प्यूटर सेल, राजभवन, सलतऊ।

२.  
३.

(एल. गिल्लन.)  
मुलाभिमति के अनु सचिव, उ०ग०।

प्रेषण,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश।

सेना में,

कुलसचिव,  
कुलाधिपति, कुलाधिपति, कुलाधिपति,  
आगरा।

महोदय,

आपके पत्र संख्या 1/1/2004, दिनांक 15/7/2004 के सार में मुझे आपसे यह कहने का  
निर्देश हुआ है कि महाप्रमुख कुलाधिपति महोदय ने उच्चशिक्षण विश्वविद्यालय अग्निशिवम, 9/1/93 की शारा 3(2)  
तथा संशोधन आधीनयम 2002 की धारा -2 के सुसंगत प्रावधानों के अधीन आदर्श कृष्ण महाविद्यालय शिक्रीहाबाद  
फिरोजाबाद को गत्ना संस्था के मातृ संस्थान के रूप में उच्चशिक्षण विषय में रजिस्ट्रार गोपित योजनावतर्गत  
निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 9.09.2003 से आगामी दो वर्षों हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति राक्षर प्रदान कर  
दी है।

1. महाविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त होने की निरीक्षण आख्या/पत्र संख्या - 2/1/2003-96 (12)/2002, दिनांक 2 जुलाई, 03 में उल्लिखित शर्तों के अन्तर्गत प्रथम-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णतया पालन किया जा रहा है।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिष्ठावली में निर्गत तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उन्नी निरन्तरता का सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उच्चशिक्षण विश्वविद्यालय आधीनयम 9/1/93 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

(राकेश कुमार ओझा)  
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. सचिव उच्चशिक्षण विद्या सेवा आयोग, लखनऊ, 96, ए.आय. मार्ग, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
3. निर्देशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. सचिव, आदर्श कृष्ण महाविद्यालय शिक्रीहाबाद फिरोजाबाद

(राकेश कुमार ओझा)  
कुलाधिपति के विशेष सचिव